न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी :– **श्रीमती सोनू आर्य**

तहसीलदार उदयपुरवाटी सरकार जरिये पटवारी हल्का पौंख,

बनाम

श्री प्रभात राम पुत्र श्री नाथूराम जाति माली निवासी ग्राम पौंख तहसील उदयपुरवाटी

अर्तगत धारा 91 राज0 भू. राजस्व अधिनियम, 1956

–:निर्णय:–

प्रकरण संख्या:– 66 / 2020 दिनांक 14.07.2021

पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। अप्रार्थी अनुपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का पौंख ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश कर सूचित किया कि संवत 2077 में मौजा ग्राम पौंख पटवार हल्का पौंख के हाल भूमि खसरा नम्बर 118 कुल रकबा 0.82 है0 किस्म बारानी 3 मेंसे 0.75 है0 सरकारी भूमि पर श्री प्रभात राम पुत्र श्री नाथूराम जाति माली निवासी ग्राम पौंख ने अनाधिकृत रुप से फसल काश्त कर अतिक्रमण किया हैं। प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने अपना जबाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी ने अपने जबाब में उल्लेखित किया कि उक्त भूमि पर उसका कदीमी कब्जा चला आ रहा है, यह भूमि उसके हक में नियमन करना न्यायोचित है। अप्रार्थी ने उक्त सरकारी भूमि मौजा ग्राम पौंख पटवार हल्का पौंख के हाल भूमि खसरा नम्बर 118 कुल रकबा 0.82 है0 किस्म बारानी 3 मेंसे 0.75 है0 भूमि पर अतिक्रमण करने के सम्बंध में किसी प्रकार का कदीमी साक्ष्य / सबूत पेश नहीं किया हैं ।

पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अप्रार्थी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत सरकारी भूमि पर अनाधिकृत रुप अतिक्रमण करने के फलस्वरुप अतिक्रमि घोषित किया जाता हैं तथा उपरोक्त मुतनाजा अराजी से भौतिक रुप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश

वाके ग्राम पौंख पटवार हल्का पौंख के हाल भूमि खसरा नम्बर 118 कुल रकबा 0.82 है0 किस्म बारानी 3 मेंसे 0.75 है0सरकारी भूमि पर से श्री प्रभात राम पुत्र श्री नाथूराम जाति माली निवासी ग्राम पौंख को बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं, साथ ही इस अनाधिकृत अतिक्रमण के दण्ड स्वरूप वार्षिक लगान 1.86 रुपये का 50 गुणा यानि कुल 93/–रुपये (अक्षरे रू तिरानवे मात्र) बतौर जुर्माना अप्रार्थी पर आरोपित किया जाता है। निर्णय अनुसार मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखकार एवं भू0अभिलेख निरीक्षक को लिखा जाये। भू अभिलेख निरीक्षक को आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी को सरकारी भूमि से बेदखल कर रिपोर्ट बेदखली पेश करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 14.07.2021 को खुले इजलास सुनाया गया।

तहसीलदार
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)
(सोनू आर्य)
तहसीलदार उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.03.30 12:40:56 IST
Reason: SelfAttested